न्यायालय संख्या-1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

निर्देश याचिका संख्या- 426 सन् 2024

नितिन कसाना, आयु करीब 48 वर्ष, पुत्र श्री राज सिंह कसाना, निवासी—28, द्वितीय तल,डायनेमिक्स गुलमोहर, ताजनगरी योजना, फेज—2, जनपद—आगरा।

....याची।

बनाम

- 1- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपर मुख्य सिवव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सिववालय, लखनऊ।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा।
- 3— पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।

.....विपक्षीगण।

श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, याची के अधिवक्ता। श्री पंकज सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

(द्वारा–माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

याची श्री नितिन कसाना ने यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम—1976 की धारा—4 के अन्तर्गत दिनांक 27—2—2024 को योजित करते हुए विपक्षीसंख्या—4—विरष्ट पुलिस अधीक्षक,जनपद—मथुरा, उ०प्र० द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.07.2023 जिसके द्वारा याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दिण्डत किया गया है तथा दण्डादेश के विरूद्ध योजित अपील एवं पुनरीक्षण पर विपक्षीसंख्या—3—पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा एवं विपक्षीसंख्या—2— अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा द्वारा पारित अपील एवं पुनरीक्षण निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 19.09.2023 एवं 08.01.2024 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या—1, 2 एवं 3 के रूप

में मौजूद हैं को निरस्त किये जाने एवं इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ दिये जाने हेतु प्रस्तुत की।

- याचिका में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार विपक्षीसंख्या-4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-मथुरा द्वारा याची को 01-05-2023 दिनांकित कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए याची पर आरोप लगाया गया कि जब याची वर्ष-2022 में थाना गोवर्धन पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, तब दिनांक 02.09.2022 की रात्रि को गिरिराज पर्वत की तलहटी में खम्भा नं0 45 के पास नागा बाबा की कुटिया के पास बनी सुरंग से पाये गये शव जिसकी शिनाख्त श्री रौदास पुत्र भगवान सिंह निवासी जनपद—मथुरा के रूप में हुई के शव को निकालने के दौरान शव के आधे हिस्से को उ0नि0 मनोज कुमार द्वारा वहीं जमीन में दबा दिया गया। तदोपरान्त दिनांक 04.09.2022 को उक्त शव के दबाने की सूचना मीडिया में प्रसारित होने पर पुनः शव को निकलवाकर पंचायतनामा एवं मोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी। उक्त घटनाकम में उ0नि0 मनोज कुमार व प्रभारी निरीक्षक के मध्य हुई वार्ता की ऑडिया रिकॉडिंग उ0नि0 मनोज कुमार द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उक्त दोनों के मध्य शव को दबाने सम्बन्धी वार्ता की जा रही है। याची-निरीक्षक का यह कृत्य उसके पदीय कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। उक्त कारण बताओ नोटिस याची पर 10.05.2023 को तामील हुई जिस पर याची ने अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 19.05.2023 प्रस्तुत किया। उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर विपक्षीसंख्या—4—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद—मथुरा द्वारा आदेश दिनांकित 11.07.2023 पारित करते हुए याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया। इस दण्डादेश के विरूद्व याची की अपील एवं पुनरीक्षण विपक्षीसंख्या-3 एवं 2 द्वारा कमशः 19.09.2023 एवं 08.01.2024 दिनांकित आदेश से निरस्त हुई।
- 3— इस प्रकार याची पर आरोप है कि दिनांक 03.09.2022 की रात्रि को गिरिराज पर्वत के पास पाये गये शव को निकालने के दौरान शव को उप निरीक्षक मनोज कुमार द्वारा जमीन में दबा दिया गया और 04.09.2022 को उक्त शव के मिट्टी में दबा दिये जाने की सूचना मीडिया में प्रसारित होने पर पुनः शव को निकलवाकर उसका पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी जिसके सम्बन्ध में उप निरीक्षक मनोज कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक याची के मध्य हुई वार्ता की ऑडियो रिकार्डिंग उ0नि0 मनोज

कुमार द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उक्त दोनों के मध्य शव को दबाने सम्बन्धी वार्ता की जा रही है एवं याची का यह कृत्य उसके कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता हुआ पाया गया जिस पर याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया।

याची के अनुसार उक्त वार्ता याची की बिना सहमति एवं बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के अंकित की गयी जो दुराचरण की श्रेणी में आती है। याची थाना प्रभारी था, उक्त घटना के सम्बन्ध में उप निरीक्षक मनोज कुमार को निलम्बित किया गया तथा याची को थाना प्रभारी होने के कारण परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया। जांच आख्या में याची के बयान मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि मौके पर शव की सूचना मिलने पर उप निरीक्षक मनोज कुमार ने जब शव को मिट्टी से निकालने का प्रयास किया तब शव काफी पुराना होने के कारण डिकम्पोज (क्षत-विक्षत) हो चुका था, जिसके कारण घड से ऊपर का भाग अन्दर ही रह गया तथा घड से नीचे का भाग ही बाहर निकल सका था। बिजली की व्यवस्था न होने के कारण रात्रि में शव क्षत-विक्षत न हो जाये इसलिये शव से ज्यादा छेडछाड न करते हुए सुबह का इन्तजार किया गया। अगले दिन शव को क्षत-विक्षत होने से बचाते हुए यॉत्रिक उपकरणों की सहायता से मिट्टी से निकाल कर पोस्टमार्टम हेत् भिजवाया गया। मृतक की पहिचान रोहदास पुत्र भगवान सिंह, निवासी ग्राम आन्यौर थाना गोवर्धन जनपद-मथुरा के रूप में हुयी थी जो विगत कई वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त था जिसके सम्बन्ध में मृतक के परिजनों द्वारा किसी भी थाना/चौकी पर कोई सूचना नही दी गयी थी। परिजनों द्वारा भी मृतक की हत्या की आंशका व्यक्त नही की गयी थी। दुर्गम स्थल होने के कारण कार्यवाही तत्काल नही हो सकी थी। मृतक की पहचान होने के बाद तुरन्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गयी। जांच में उप निरीक्षक मनोज कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक याची के मध्य हुई वार्ता की ऑडियो रिकॉडिंग उप निरीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी जिसमें दोनों के मध्य शव को दबाने की वार्ता की जा रही थी। जांच में उप निरीक्षक मनोज कुमार एवं याची-थाना प्रभारी निरीक्षक, थाना-गोवर्धन दोनों को ही दोषी पाया गया। याची के स्तर पर कोई लापरवाही नही हुई। जवाब नोटिस में याची ने कहा कि उसने उप निरीक्षक मनोज कुमार को उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराने की हिदायत दी थी

किन्तु उप निरीक्षक मनोज कुमार द्वारा मनमाने ढंग से कार्यवाही की गयी और शव के अवशेष को वहीं दफन कर दिया गया जब उसको जानकारी हुई तो उसके द्वारा खुद मौके पर जाकर यांत्रिक उपकरणों की मदद से शव के सम्पूर्ण अवशेषों को बाहर निकलवाया गया एवं पंचायतनामा तैयार कराकर पोस्टामार्टम हेतु भिजवाया गया। शव के क्षत—विक्षत होने के कारण पोस्टामार्टम में मृत्यु का कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया। एक ओर जहां उप निरीक्षक मनोज कुमार व उसके मध्य हुई टेलीफोन वार्ता थी बिना यांची के संज्ञान में लाये रिकार्ड की गयी वहीं उप निरीक्षक ने अपनी कार्य—गुजारी पर पर्दा डालने के लिए उक्त रिकार्ड आडियो का का अल्प भाग जांच में सम्मिलित किया जबिक सम्पूर्ण वार्ता कम के दौरान उनको उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। बिना यांची की जानकारी में लाये यांची की कॉल को रिकॉर्ड करना जहाँ यांची की निजता का हनन है वहीं अनुशासित विभाग में रहकर उच्च अधिकारियों से की गयी वार्तालाप को इस प्रकार से रिकॉर्ड करने से उप निरीक्षक मनोज कुमार की मानसिकता व कार्यशैली स्पष्ट उजागर है।

- 5— याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 11.07.2023 एक सूक्ष्म आदेश है जिसमें मात्र एक पंक्ति का उल्लेख है कि याची द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य नही है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया एवं याची को प्रश्नगत आदेश द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त दण्डादेश में न तो याची का स्पष्टीकरण अंकित किया गया न उक्त स्पष्टीकरण को विवेचित किया गया, न ही निष्कर्ष तक पहुँचने का कोई कारण ही दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश एक मौन व अकारण पारित आदेश है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है, अतः प्रश्नगत आदेश एवं परिणामिक अपीलीय एवं पुनरीक्षण निरस्तीकरण आदेश निरस्त होने योग्य है।
- 6— विपक्षीगण द्वारा याची पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कहा गया कि याची ने उप निरीक्षक मनोज कुमार को मोबाईल पर ही वैधानिक कार्यवाही करने हेतु हिदायत दी थी। मृतक के शरीर का आधा हिस्सा मिट्टी में दबा होने के कारण यह निकाला नही जा सका। पारिवारीजन के मौके पर पहुँचने पर मृतक का पूरा शरीर खोदकर बाहर निकाला गया तब मृतक शरीर का याची द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया। इस प्रकार याची द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं

स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित किया गया, अतः प्रश्नगत आदेश में किसी हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नही है।

- 7— याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ:
- उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि याची घटनास्थल क्षेत्र के थाने का प्रभारी निरीक्षक था एवं स्वीकृत रूप से शव मिलने की सूचना पर उप निरीक्षक मनोज कुमार मौके पर गये थे तथा कथित रूप में मृतक के पैर दिखायी देने पर जब उसे खींचा गया, तब शरीर क्षत-विक्षत होने के कारण मृतक का धड के नीचे का भाग खिंचकर आने पर शव के उस नीचे वाले भाग को मिट्टी में दबा दिया गया। स्वीकृत रूप से उस दिन याची मौके पर नहीं गया है। आरोप है कि 02/03 सितम्बर 2022 की मध्य रात्रि में शव मिलने के बाद याची 04.09.2022 को मौके पर गया एवं शव को निकलवाकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम करवाया। मृतक की हत्या हुई हो ऐसा कोई आरोप उसके पारिवारीजनों का नही है। परिक्रमा मार्ग में दिनांक 3.09.2022 को राधाष्टमी पर्व होने के कारण अत्याधिक भीड-भाड थी और वह भीड प्रबन्धन आदि में व्यस्त होने के कारण उक्त घटना की ओर ध्यान नही दे सकना याची द्वारा बताया गया। याची द्वारा शव को दबाने हेतु उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया, इस सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार की याची के साथ वार्ता की पेन ड्राइव को जांच के दौरान पेश करना बताया गया है। उक्त पेन—ड्राइव में याची एवं उप निरीक्षक मनोज कुमार के मध्य शव को दबाये जाने के सम्बन्ध में वार्ता की जानी बतायी गयी। उक्त वार्ता क्या थी यह जांच आख्या में अंकित नही है। याची के स्पष्टीकरण के अनुसार उनके निर्देशानुसार उप निरीक्षक मनोज कुमार द्वारा कार्यवाही न करके मनमाने ढंग से कार्यवाही करके शव के अवशेषों को वहीं पर दफन किया गया। इस प्रकार जहां जांच आख्या व नोटिस के जवाब में याची ने स्वयं को निर्दोष बताया वहीं दण्डादेश में विपक्षीसंख्या—4 द्वारा न तो याची के नोटिस जवाब को अंकित किया गया न ही उसे विवेचित किया गया, न ही अपने निष्कर्ष तक पहुँचने का कोई कारण दण्डादेश में अंकित किया गया है। जबकि शासनादेश सीआईआर डी.ओ.नं0-15/1989 पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, दिनांकित 10-02-1989 के अनुसार मात्र एक पंक्ति का आदेश कि 'स्पष्टीकरण

संतोषजनक / असंतोषजनक हैं आपित्तिजनक है। दण्डाधिकारी को अपने निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए आदेश में कारणों को अंकित करना आवश्यक है।

9— रिट-ए नं0-3127 सन् 2023 उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सिवव एवं अन्य बनाम् विजय कुमार एवं अन्य में भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ ने मत प्रतिपादित किया है कि बिना आरोपी के स्पष्टीकरण को अंकित किये सीधे दण्ड देने के निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं हैं एवं ऐसे आदेश को निरस्त करने योग्य पाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय कान्ति एशोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम् मसूद अहमद खान एवं अन्य; (2010)9 सुप्रीम कोर्ट केसस-496 में पाया कि दण्डाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह आदेश में कारणों को अंकित करे। सूक्ष्म एवं अकारण पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है तथा मां0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय (2005) 12 सुप्रीम कोर्ट केसस-256 राज कुमार मेहरोत्रा बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में भी प्रतिपादित किया कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन को विचारित न करना एवं सीधे दण्डादेश पारित कर देना उचित नहीं है एवं ऐसे दण्डादेश को निरस्त करने योग्य पाया।

10— इस प्रकार उपरोक्त नजीरों के आधार पर प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 11.07.2023 पूर्णतया सूक्ष्म, मौन एवं अकारण पारित आदेश पाया जाता है जिसमें याची के स्पष्टीकरण को कदापि अंकित / विचारित नहीं किया गया है तथा निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु कोई आधार अंकित नहीं किया गया है जबिक आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी विपक्षीगण की थी। यह जिम्मेदारी याची की नहीं थी कि वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करे। शत्रुध्न सिंह उ०.नि. पुलिस बनाम् क्षेत्राधिकारी पंचम इलाहाबाद एवं अन्य 1993 ए.एल.जे. पेज—718 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि "Lack of efficiency, failure to attain the highest standard of administrative ability, lack of foresight, error of judgment, indifference or ignorance of basic requirements of law which the officer is supposed to deal with, ipso facto, does not amount to misconduct, unless of course it is found that the officer was acting with oblique or ill motive."

11— नजीर (2010)12 एससीआर 448 मो० युनुस खान बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया गया है:—

26. The existence of an element of bias renders the entire disciplinary proceedings void. Such a defect can not be cured at the appellate stage even if the fairness of the appellate authority is beyond dispute."

12- उपरोक्त नजीर के आधार पर दण्डादेश दिनांकित 11.07.2023 जहां पूर्णतया मौन, सूक्ष्म व अकारण पारित आदेश पाया जाता है जिसमें याची के जवाब को विचारित नहीं किया गया है ऐसे निर्णय के आधार पर पारित अपील एवं पुनरीक्षण में पारित आदेश कमशः दिनांकित 19.09.2023 एवं 08.01.2024 भी निरस्त होने योग्य है और याचिका तदनुसार स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षीसंख्या—4— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा, द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.07.2023 एवं विपक्षीसंख्या—3— पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र आगरा एवं विपक्षीसंख्या—2—अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा द्वारा पारित अपील एवं पुनरीक्षण निरस्तीकरण आदेश कमशः दिनांकित 19.09.2023 एवं 08.01.2024 निरस्त किये जाते हैं। इन आदेशों के आधार पर रोकें गये सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ याची नियमानुसार पाने का अधिकारी है। इस निर्णय का अनुपालन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित हो।

उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

ह0

(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर) अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

> ह0 (न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर) अध्यक्ष

<u>दिनांक : 24—04—2025.</u> आरपी / पीएस